न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 58/2025(GCMS : 2025/129)**

आवास फाईनेंसर्स लि., पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर–302020 व **स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये** अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम सुथार

बनाम

1. **सायरा राम पुत्र श्री सोहन राम,** निवासी वार्ड नं. 04, गांव भोजेवाला, ग्राम पंचायत सोमासर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335804 **अन्य पता** मिसल नं. 40, पूर्वी भाग पट्टा संख्या 40, गांव भोजेवाला, ग्राम पंचायत सोमासर नजदीक काली माता मन्दिर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335804
2. **संतोष पुत्र श्री भागीरथ** निवासी 241 भागीरथ पुरा जिला इंदौर (म.प.) पिन नं. 452003

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

24.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूण्ड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है, इसलिए नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना की। प्रार्थी आवास फाईनेशिर्यस लि. ने अप्रार्थीगण सायरा राम एवं संतोष द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सायरा राम की सम्पति मिसल नं. 40, पूर्वी भाग पट्टा संख्या 40, गांव भोजेवाला, ग्राम पंचायत सोमासर, नजदीक काली माता मन्दिर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335804 जिसके उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में गोरखा राम, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में शेष भाग पट्टा संख्या 40 है, जिसका साईज 5000 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

विविध बैंक 120 / 2025
(GCMS No. 2025/129)

मैने, उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंस लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आरितयों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण सायरा राम एवं संतोष के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में सायरा राम की अचल सम्पत्ति मिसल नं. 40, पूर्वी भाग पट्टा संख्या 40, गांव भोजेवाला, ग्राम पंचायत सोमासर, नजदीक काली माता मन्दिर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335804 जिसके उत्तर दिशा में सड़क, दक्षिण दिशा में गोरखा राम, पूर्व दिशा में सड़क, पश्चिम दिशा में शेष भाग पट्ट संख्या 40 है, जिसका साईज 5000 वर्गफुट है, का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:37:20 IST
Reason: SelfAttested